रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	348.90	19.59	368.49	374.43	18.88	393.31	882.40	759.47	1641.87	779.00	20.88	799.88
	पूंजी	***53.96***	*1.10*	*55.06*	*25.57*	*1.12*	*26.69*	*20.60*	*1.12*	*21.72*	*21.00*	*1.12*	*22.12*
	जोड़	**402.86**	**20.69**	**423.55**	**400.00**	**20.00**	**420.00**	**903.00**	**760.59**	**1663.59**	**800.00**	**22.00**	**822.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.22	10.62	10.84	1.00	11.20	12.20	0.61	12.05	12.66	0.40	13.38	13.78
उद्योग													
पैट्रो रसायन उद्योग													
2. सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी)	2852	20.13	3.00	23.13	69.94	0.53	70.47	74.02	0.53	74.55	43.79	0.53	44.32
	6856	14.00	...	14.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*34.13*	*3.00*	*37.13*	*69.94*	*0.53*	*70.47*	*74.02*	*0.53*	*74.55*	*43.79*	*0.53*	*44.32*
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	316.31	...	316.31	172.74	0.01	172.75	701.44	0.01	701.45	595.71	0.01	595.72
4. पैट्रोरसायन की नई योजनाएं	2852	4.59	...	4.59	83.00	...	83.00	11.94	...	11.94	49.60	...	49.60
जोड़-पैट्रो रसायन उद्योग		**355.03**	**3.00**	**358.03**	**325.68**	**0.54**	**326.22**	**787.40**	**0.54**	**787.94**	**689.10**	**0.54**	**689.64**
रासायनिक और भेषज उद्योग													
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	2852	...	3.56	3.56	...	4.44	4.44	...	744.18	744.18	...	3.86	3.86
6. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	2852	5.06	2.40	7.46	4.25	2.60	6.85	0.59	2.60	3.19	1.00	3.00	4.00
7. रासायनक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.85	0.01	0.86	1.00	0.10	1.10	1.00	0.10	1.10	1.00	0.10	1.10
8. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	1.74	...	1.74	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	7.50	...	7.50
जोड़-रासायनिक और भेषज उद्योग		**7.65**	**5.97**	**13.62**	**7.75**	**7.14**	**14.89**	**4.09**	**746.88**	**750.97**	**9.50**	**6.96**	**16.46**
जोड़-उद्योग		**362.68**	**8.97**	**371.65**	**333.43**	**7.68**	**341.11**	**791.49**	**747.42**	**1538.91**	**698.60**	**7.50**	**706.10**
9. ब्याज की छूट													
9.01 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल)	2852	...	10.46	10.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0049	...	-10.46	-10.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ	2552	...	...	...	40.00	...	40.00	90.30	...	90.30	80.00	...	80.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान													
11. लोक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण													
11.01 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल)	6856	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10
11.02 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
11.03 हिन्दुस्तान जैव रसायन लि.	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़- लोक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण		*...*	*1.10*	*1.10*	*...*	*1.12*	*1.12*	*...*	*1.12*	*1.12*	*...*	*1.12*	*1.12*
12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	39.96	...	39.96	25.57	...	25.57	20.60	...	20.60	21.00	...	21.00
कुल जोड़		***402.86***	***20.69***	***423.55***	***400.00***	***20.00***	***420.00***	***903.00***	***760.59***	***1663.59***	***800.00***	***22.00***	***822.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
रसायन तथा भेषज उद्योग													
12.01 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड	12857	15.03	...	15.03	5.57	...	5.57	5.57	...	5.57	1.00	...	1.00
12.02 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	12857	24.93	...	24.93	20.00	...	20.00	15.03	...	15.03	20.00	...	20.00
जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग		**39.96**	**...**	**39.96**	**25.57**	**...**	**25.57**	**20.60**	**...**	**20.60**	**21.00**	**...**	**21.00**
जोड़		**39.96**	**...**	**39.96**	**25.57**	**...**	**25.57**	**20.60**	**...**	**20.60**	**21.00**	**...**	**21.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. पेट्रोरसायन उद्योग	12856	355.03	...	355.03	325.68	...	325.68	787.40	...	787.40	689.10	...	689.10
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	47.61	...	47.61	33.32	...	33.32	24.69	...	24.69	30.50	...	30.50
3. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.22	...	0.22	1.00	...	1.00	0.61	...	0.61	0.40	...	0.40
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	40.00	...	40.00	90.30	...	90.30	80.00	...	80.00
जोड़		**402.86**	**...**	**402.86**	**400.00**	**...**	**400.00**	**903.00**	**...**	**903.00**	**800.00**	**...**	**800.00**

1. **सचिवालय:** प्रावधान विभाग के सचिवालय पर खर्च के लिए है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर होने वाला व्यय शामिल है।

2. **केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट):** केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशेष प्रशिक्षण देने और प्लास्टिक सामग्रियों के भौतिक परीक्षण के लिए की गई थी । इस संस्थान ने अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्दिया, इम्फाल, लखनऊ, मैसूर, पटना, गुवाहाटी, पानीपत, जयपुर ओर औरंगाबाद में 15 विस्तार पटल स्थापित किए हैं। नए केन्द्रों की स्थापना सहित नई परियोजना के लिए प्रावधान है।

3. **असम गैस परियोजना के लिए सब्सिडी:** संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पालिमर लि0 (बीसीपीएल) जिसका अधिकांश शेयर परियोजना के मुख्य प्रवर्तक गेल के पास है, की पूंजी सब्सिडी के लिए 675.71 करोड़ रूपए

(पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 80 करोड़ सहित) का प्रावधान है । आशा की जाती है कि परिचालन में आने के बाद इस इकाई में पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यपक्ष रोजगार सृजन की संभावना है और उस क्षेत्र में डाउन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना में पर्याप्त निवेश आकर्षित करेगा ।

4. **पेट्रोरसायन की नई योजनाएं:** राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अनुक्रम में पेट्रोरसायन के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन और आर एंड डी के लिए विभिन्न नई योजनाएं 11 वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित है । पेट्रोरसायन और डाऊन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन, पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना, पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्को और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए प्रावधान है ।

5. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी:** कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय और पेशेवर सेवाओं, विनिमय दर अंतर आदि से संबंधित व्यय सहित पीडितों के लिए मुआवजे के मामलों में निर्णय देने के लिए विभिन्न न्यायालयों के सचिवालय खर्च इस प्रावधान में शामिल हैं ।

6. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्यौगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह संस्थान पर्यावरण हितैषी पेस्टी साइड फार्मूलेशनों के विकास कार्य में लगा है जो कि किसानों की सुरक्षा ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यन्त आवश्यक है । देश में पेस्टीसाइड उद्योग के विकास में यह संस्थान उत्त्प्ररक की भूमिका निभा रहा है ।

7. **रासायनिक हथियार समझौता (सी डब्यू सी):** भारत रासायनिक हथियार समझौता (सी डब्यू सी) के वास्तसविक हस्ताक्षरियों में से एक है । समझौते की प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक नोडल एजेंसी का भारत में गठन किया गया है । यह एजेंसी इकाइयों का परीक्षण निरीक्षण करती है, दोहरे उद्देश्य वाले रसायन उद्योगों के क्रियाकलाप की निगरानी करती है । उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है और सी डब्यू सी के क्रियान्वयन के संबंध में ओपीसीडब्यू की सहायता करती है । सी डब्यू सी अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से लागू हुआ है । वर्ष 2011 को अन्तर्राष्टीय रसायन वर्ष घोषित किया गया है और 2011-12 के परिव्य्य में इससे संबंधित संवर्द्धनात्मक और अन्य परिचारी क्रियाकलाप के लिए प्रावधान शामिल हैं ।

8. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस):** विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके रासायनों का संवर्द्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और साथ ही पीसीपीआर की स्थानपना संबंधी मामलों के लिए बजट प्रावधान किया गया है ।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए है । इस निधि में से अनिवार्य सहायता असम गैस क्रैकर परियोजना को प्रदान की जाएगी जो क्रियान्वयनाधीन है ।

11. **सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए आयोजना-भिन्न ऋण:** यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मंजूर किए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है ।

12. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपनी नई और जारी योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

12.01. **हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि0 (एचओसीएल):** वर्ष 2011-12 के दौरान संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रूपए का उपयोग किया जाएगा ।

12.02. **हिन्दुस्तान इन्सेक्टी्साइड्स लि0 (एचआईएल):** इस कंपनी को 1954 में निगमित किया गया था और डीडीटी, मेलाथियॉन और सल्फान के उत्पादन के लिए इसके पास तीन फैक्ट्रियॉ हैं। इन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के लिए किया जाता है । वर्ष 2011-12 के दौरान संयंत्र और मशीनरी के उन्नलयन के लिए 20.00 करोड़ रूपए का उपयोग किया जाएगा ।